# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 48/2026

प्रदीप पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज.)

–– अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू

–– रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 18.02.2026 न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम प्रदीप अ.धा. 91 एल.आर.एक्ट मु.नं. 78/2025

––

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार गिल – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**आदेश**

दिनांक 15.04.2026

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के आदेश दिनांक 18.02.2026 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :– उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.12.2025 को जबाब प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब में कथन किया गया है कि वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार कोई कच्चा या पक्का निर्माण किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई काश्त भी नहीं कर रखी है एवं मौके पर भूमि खाली है। अपीलान्ट के पिता की सहखातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 676/1 पर रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है। अपीलान्ट के पिता की उक्त खातेदारी की भूमि व खसरा नम्बर 1 की भूमि की सीमा पास पास होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक द्वेषता एवं दबाब के कारण एकपक्षीय गलत रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सबुत पेश करने हेतु न्यायोचित उचित अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की सही रूप से साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2026 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2026 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट से सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाती तो अपीलान्ट मौके की वास्तविक स्थिति को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबुत पेश करने का न्यायोचित अवसर नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2026 पारित करने से पूर्व केवल मात्र सम्बन्धित पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर बहस पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी ये दर्ज नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा कितनी लम्बाई चौड़ाई में अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ मौके का नक्शा भी संलग्न नहीं है और चारो दिशाओं की सीमा अंकित नहीं व ना ही मौके का आस पास अंकित है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर गलत रूप से निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू के आदेश दिनांक 18.02.2026 को खारिज फरमावें।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.12.2025 को जबाब प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब में कथन किया गया है कि वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार कोई कच्चा या पक्का निर्माण किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई काश्त भी नहीं कर रखी है एवं मौके पर भूमि खाली है। अपीलान्ट के पिता की सहखातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 676/1 पर रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है। अपीलान्ट के पिता की उक्त खातेदारी की भूमि व खसरा नम्बर 1 की भूमि की सीमा पास पास होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक द्वेषता एवं दबाब के कारण एकपक्षीय गलत रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सबुत पेश करने हेतु न्यायोचित उचित अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की सही रूप से साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2026 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2026 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट से सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाती तो अपीलान्ट मौके की वास्तविक स्थिति को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबुत पेश करने का न्यायोचित अवसर नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18. 02.2026 पारित करने से पूर्व केवल मात्र सम्बन्धित पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर बहस पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी ये दर्ज नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा कितनी लम्बाई चौड़ाई में अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ मौके का नक्शा भी संलग्न नहीं है और चारो दिशाओं की सीमा अंकित नहीं व ना ही मौके का आस पास अंकित है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर गलत रूप से निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू के आदेश दिनांक 18.02.2026 को खारिज फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन नदी की भूमि पर पक्का निर्माण अतिक्रमण किया गया है, जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी है जो राजकीय भूमि है तथा इस पर कब्जा हटाया जाना आवश्यक है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम गोवला स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 46.25 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी में से 0.0150 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत है कि किसी प्रकरण का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर किया जाना ही न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 18.02.2026 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत मौके पर अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूमि की जांच कर व अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं